रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1463] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 2008/आश्विन 25, 1930
No. 1463] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2008/ASVINA 25, 1930

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2008

**का.आ. 2476(अ).**—केन्द्रीय सरकार, संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 10-4-2008 की अधिसूचना द्वारा यूरेनियम उद्योग जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 19 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 20-4-2008 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 20-10-2008 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/9/97-आई. आर. (पी.एल.)]

डॉ. अशोक साहू, श्रम और रोजगार सलाहकार

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2008

**S.O. 2476(E).**—Whereas, the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour dated 10-4-2008 the service in Uranium Industry which is covered by item 19 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 20th April, 2008;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 20th October, 2008.

[F. No. S-11017/9/97-IR (PL)]

Dr. ASHOK SAHU, Labour and Employment Advisor

4015 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.